406 कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 14/11/08

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–आचार संहिता का पालन किया जाना।

–:0:–

इस संबंध में कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके महाविद्यालय परिसर एवं परिसर के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम 2000 का उल्लंघन न हो।

इस संबंध में महाविद्यालय के बाहरी दीवाल पर पोस्टर, बैनर, स्वागत द्वार इत्यादि बनाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और न ही महाविद्यालय की दीवार पर किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अपना प्रचार करने की अनुमति है।

संपत्ति विरूपण अधिनियम में कोई घटना घटित हुई है तो आप उसे तत्काल जिले के कलेक्टर के ध्यान में लायें और बिना कलेक्टर की प्रतीक्षा किये स्वयं उसे मिटा दें। संपत्ति के विरोपण को हटाते समय कोई भी दल विशेष का ध्यान न रखा जाए।

महाविद्यालय के अंदर भी छात्र और अध्यापकों के बीच कोई राजनैतिक चर्चा नही होगी।

अतः भारत निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप संपत्ति विरूपण अधिनियम का पूर्णतः पालन करें एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कभी भी न करें, उल्लंधन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता को अथवा सूचना न देने वाले को 1000 रू0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। अतः कृपया इस संबंध में सतर्क रहें।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

407

पृ. क्रमांक /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 14/11/08

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. अतिरिक्त संचालक, समस्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश। अपने क्षेत्र में कृपया यह सुनिश्चित करें कि निजी महाविद्यालयों में भी आचार संहिता का पालन हो।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश